न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 14/2023

वादीगण

1. नेमाराम पुत्र तगाराम
   जाति मेघवाल निवासी हाडेचा तहसील चितलवाना जिला जालोर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. खुमाराम पुत्र तेजाराम
2. डालूराम पुत्र जेठाराम
   जाति मेघवाल निवासी सदराम की बेरी तहसील सेडवा जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता वादी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 9/2/25

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र आलपुरा के राजस्व ग्राम जुगताणियों की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 1702, 841 रकबा क्रमशः 1.7159, 1.0441 हैक्टेयर की अवस्थिति है।

वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है तथा हिस्से खुले हुए हैं। उक्त आराजी में वादी का 5/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का है, इसी प्रकार अपने–अपने हक हिस्से अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहा है। वादी के पूर्वजों का बाहमी बंटवाडा किया हुआ है उसी अनुसार वादी काबिज है। प्रतिवादीगण एवं वादी के मध्य उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने से प्रतिवादीगण हमेशा वादीगण के कब्जे में दखल हस्तक्षेप करते रहते हैं, अलावा इसके वादी अपने हिस्से की भूमि में इच्छा अनुसार लागत लगाकर उपजाऊ बनाने तथा भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सहकारी संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में भी अड़चने आती हैं। प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी का लाभ उठाकर अपने वास्तविक हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होने पर उतारू रहते हैं। वादी द्वारा उपजाऊ बनाई गई भूमि का बेचान कर किसी अजनबी को उक्त भू–भाग पर काबिज करवाने पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:28:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

संयुक्त खातेदारी में काश्त करना मुश्किल हो गया है, इसलिये [illegible] अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज कृषि भूमि के हिस्से की कृषि भूमि का कब्जा–काश्त अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा करवाना आवश्यक हो गया है अतः बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया।

वाद वादी दर्ज कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में PW-1 वादी नेमाराम एवं गवाह PW-2 सुखराम को उपस्थित कर बयान कलमबद्ध करवाए गये, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 वर्तमान जमाबन्दी, प्रदर्श–2 खसरा नक्शा प्रदर्शित करवाए गये।

वकील वादी की पत्रावली पर बहस सुनी। मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा हिस्से खुले हुए हैं, वादी का उक्त आराजी में 5/8 हिस्से की खातेदारी दर्ज है, परन्तु भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। गवाहान ने जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार उपरोक्त खसरान की भूमि पर वादी का कब्जा काश्त होना जाहिर किया है। वादी वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है हिस्सा खुला हुआ है, भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से विभाजन करवाने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र आलपुरा के राजस्व ग्राम जुगताणियों की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 1702, 841 रकबा क्रमशः 1.7159, 1.0441 हैक्टेयर की भूमि में वादी का 5/8 हिस्सा अलग कर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स (By mets & bounds) बंटवाडा किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौके का विभाजन तहसीलदार गुड़ामालानी [illegible] इसी प्रकार प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली विभा[illegible] मुन पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:28:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 9/2/2[illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर, गुडामालानी
सहायक कलक्टर गुड़ामालानी

(आदेश्युत गया)

प्राथमिक डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी

व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 14 / 2023

वादीगण

1. नेमाराम पुत्र तगाराम
   जाति मेघवाल निवासी हाडेचा तहसील चितलवाना जिला जालोर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. खुमाराम पुत्र तेजाराम
2. डालूराम पुत्र जेठाराम
   जाति मेघवाल निवासी सदराम की बेरी तहसील सेडवा जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 9/2/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता वादीनी व हाजरी ... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र आलपुरा के राजस्व ग्राम जुगताणियों की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 1702, 841 रकबा क्रमशः 1.7159, 1.0441 हैक्टेयर की भूमि में वादी का 5/8 हिस्सा अलग कर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स (By mets & bounds) बंटवाडा किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौके का विभाजन तहसीलदार गुड़ामालानी पेश करें। खर्चा फरीकेन अपना अपना स्वयं वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 9/2/24 को जारी की गई।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी

मुहर

दिनांक : 09/2/24

क्रमांकः वाचक / 2024 / 118
प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।
1. भूमिधारक तहसीलदार, गुडामालानी।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:28:35 IST
Reason: SelfAttested